



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 2005/आश्विन 23, 1927

No. 430]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 2005/ASVINA 23, 1927

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

( माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 632( अ ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### 1. लघु शीर्षक तथा आरम्भ.—

- (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग ( वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां ) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।
- (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषा.—इन नियमों के अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ के अन्तर्गत अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “अधिनियम” का आशय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, 2004 (2005 का 2) से है।
- (ख) “अध्यक्ष” का आशय आयोग के अध्यक्ष से है।
- (ग) शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिनका यहां प्रयोग किया गया है तथा जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही आशय होंगे जैसा कि अधिनियम में दिए गए हैं।

### 3. अध्यक्ष की शक्तियां.—अध्यक्ष को इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी :—

बशर्ते कि वित्तीय शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी कार्यविधिक अथवा अन्य अनुदेशों अथवा नियमों के अधीन होगा।

अनुसूची

( नियम-3 देखें )

1. स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां और पदोन्नतियां
2. छुट्टी की मंजूरी
3. सामान्यतः स्थापना संबंधी मामले
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष स्वीकृत अनुदान में इस उद्देश्य के लिए आवंटित राशि की सीमा के भीतर आकस्मिक व्यय
5. एक उप-शीर्ष से अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजन

6. केन्द्र सरकार को सूचित करते हुए क्षतियों तथा त्रुटियों को बट्टे खाते में डालना
7. फटी-पुरानी वस्तुओं का निपटान
8. सरकारी उपयोग के लिए वाहनों को किराए पर लेना
9. आयोग के समुचित कार्यकरण के लिए अग्रिम राशियों की स्वीकृति तथा इनकी वसूली
10. केन्द्र सरकार की अनुमति से सरकारी उपयोग के लिए किराए पर आवास लेना।

[फ्त. सं. 7-6/2005-एम.सी.(पी.)]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**  
(Department of Secondary and Higher Education)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2005

**G.S.R. 632(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 read with clause (b) of Sub-section 2 of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.—**

- (1) The rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Financial and Administrative Powers) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.—**

In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005);
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (c) words and expressions used here in and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Powers of the Chairperson.—** The Chairperson shall have the powers in respect of matters specified in the Schedule to these rules :

Provided that the exercise of financial powers shall be subject to any procedural or other instructions or rules issued by the Central Government from time to time.

**SCHEDULE**

(See rule 3)

1. Appointments and promotions against vacancies in respect of sanctioned posts.
2. Grants of leave.
3. Establishment matters generally.
4. Contingent expenditure within the amount allotted for this purpose in the sanctioned grant each financial year.
5. Re- appropriation from one sub-head to another.
6. Write off of losses and deficiencies in stores under intimation to the Central Government.
7. Disposal of worn out articles.
8. Hiring of vehicles for official use.
9. Sanction of advances and its recoveries for the proper functioning of the Commission.
10. Hiring of accommodation for official use with the permission of the Central Government.

[F. No. 7-6/2005-MC(P)]  
SUNIL KUMAR, Jt. Secy.